न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

:– दो अपीलें:–

पहली अपीलः–

अपील संख्या :– 97/2003 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. श्रीमती नर्बदा देवी बेवाह मनोहर लाल (फौत)
2. मदनलाल पुत्र मनोहर लाल (फौत)

2/1. शांति देवी बेवाह मनोहरलाल

3 घनश्याम पुत्र मनोहर लाल

4. पूर्णसिंह पुत्र मनोहर लाल

5. हरीराम पुत्र मनोहर लाल

6 अशोक पुत्र मनोहर लाल

7 शारदा देवी पुत्री मनोहर लाल

8. सावत्री देवी पुत्री मनोहर लाल

9 सरला देवी पुत्री मनोहर लाल

10. चित्रा देवी पुत्री मनोहर लाल जातियान ब्राहमण निवासीयान ग्राम जोगावाड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1 प्रेमचन्द पुत्र बद्रीप्रसाद

2 शिवदत्त पुत्र बद्रीप्रसाद जातियान ब्राहमण निवासीयान जोगावाड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान (फौत)

2/1 शारदा देवी बेवाह शिवदत्त

2/2 रिषी कुमार पुत्र शिवदत्त

2/3 मुनी कुमार पुत्र शिवदत्त

2/4 मुकेश कुमार पुत्र शिवदत्त (फौत)

2/4/1 कीर्ति बेवाह मुकेश

2/4/2 पिंकी पुत्री मुकेश

2/4/3 उजय पुत्र मुकेश नाबालिग सरपरस्त माता खुद

2/5 राजेश कुमार पुत्र शिवदत्त

:------ रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर
दिनांक 16.7.2003

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री राजेन्द्र कुमार जैन

2. वकील रेस्पो0 :- सुश्री सुषमा शर्मा

दूसरी अपील:-

अपील संख्या :- 98/2003 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. मदन लाल (फौत)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1/1 शांति देवी बेवाह मदनलाल

2\. घनश्याम

3\. पूरण

4\. हरि

5\. अशोक पुत्रान मनोहर लाल

6\. शारदा

7\. सावित्री

8\. सरला

9\. चित्रा पुत्रियान मनोहर लाल

10\. नर्बदा बेवाह मनोहर लाल जातियान ब्राहमण निवासीयान जागोवाड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- वादीगण/अपीलांटस

बनाम

1. प्रेमचन्द
2. शिवदत्त (फौत)

2/1 शारदा देवी बेवाह शिवदत्त

2/2 रिषी कुमार पुत्र शिवदत्त

2/3 मुनी कुमार पुत्र शिवदत्त

2/4 मुकेश कुमार शिवदत्त (फौत)

2/4/1 कीर्ति बेवाह मुकेश

2/4/2 पिंकी पुत्री मुकेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

2/4/3 उजय पुत्र मुकेश नाबालिग सरपरस्त माता खुद

2/5 राजेश कुमार शिवदत्त

3. धर्मपाल पुत्रान बद्रीप्रसाद

4. राधेश्याम

4/1 सिद्या बेवाह राधेश्याम

4/2 महेश पुत्र राधेश्याम

4/3 शकुन्तला पुत्री राधेश्याम

4/4 वेदप्रकाश पुत्र राधेश्याम

4/5 संजय पुत्र राधेश्याम

4/6 मिथलेश पुत्री राधेश्याम

4/7 कृष्ण पुत्र राधेश्याम

4/8 सुनील कुमार पुत्र राधेश्याम

5. विष्णु (फौत)

5/1 बीना देवी बेवाह विष्णु

5/2 राजकुमार पुत्र विष्णु

5/3 नीतू पुत्री विष्णु

5/4 बबीता उर्फ ममता पुत्री विष्णु

5/5 लाला उर्फ जयप्रकाश पुत्र विष्णु

6. महावीर पुत्रान रामकुवार

7. सत्यनारायण

8. विधा देवी पुत्री रामकुवार

9. गुलबी देवी बेवाह रामकुवार (फौत)

जाति ब्राहमण निवासी जोगावाड तह0 मुण्डावर जिला अलवर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर

:-------प्रतिवादीगण/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर
दिनांक 16.7.2003

उपस्थित	:-	वकील अपीलांट	:-	श्री राजेन्द्र कुमार जैन
		वकील रेस्पो0	:-	सुश्री सुषमा शर्मा

निर्णय दिनांक 17.2.2021

1 उपरोक्त दोनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान है तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ प्रस्तुत की गई है । अतः इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत में तहत अदालत में दो दावे वाद संख्या 277/96 तथा 280/96 प्रस्तुत हुये । दौराने विचारण वाद प्रतिवादी प्रेमचन्द ने तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 यह कहते हुये प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नम्बर 03 धर्मपाल का देहान्त 6 वर्ष पूर्व हो चुका है। परन्तु वादी ने आज तक वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। अतः वाद पत्र अबेट हो चुका है। इसलिये वाद पत्र को अबेटमैंट में खारिज किया जावे। तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 16.7.2003 द्वारा दोनों वाद पत्र अबेटमैंट में खारिज किया है,जिसकी ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि वाद पत्र में प्रतिवादी मृतक धर्मपाल के खिलाफ किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था । इसलिये उसके वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लेने के कारण वाद पत्र अबेट नहीं होता है । धर्मपाल के देहान्त की हमको जानकारी नहीं थी । इसलिये जानकारी के अभाव में वारिसान को रेकार्ड पर नहीं लिया जा सका । इस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तकनीकी भूल के कारण वाद पत्र अबेट नहीं किया जा सकता । अतः निवेदन है कि प्रकरण को मेरिटस पर निर्णित करने के लिये रिमांड किया जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि प्रतिवादी धर्मपाल के देहान्त की जानकारी अपीलांटस को पूर्व से ही थी,क्योंकि वादी और प्रतिवादी एक ही अहाते में रहते हैं । लेकिन उसके वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र वादीगण अपीलांटस ने प्रस्तुत नहीं किया है । इसलिये कानूनन वाद पत्र अबेट हो गया था । तहत अदालत ने सही तौर पर वाद पत्र को अबेटमैट में खारिज किया है । लिहाजा अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध है कि प्रतिवादी धर्मपाल के देहान्त की जानकारी प्रतिवादी द्वारा तहत अदालत में नहीं दी गई थी । प्रतिवादी रेस्पो0 का यह दायित्व था कि वो धर्मपाल के देहान्त की जानकारी तहत अदालत में देते । इसके बाद ही वादी अपीलांट द्वारा मृतक धर्मपाल के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही करवाई जा सकती थी । जानकारी के अभाव में हुई इस तकनीकी त्रुटि के कारण वाद पत्र को अबेट न करके मेरिटस पर निर्णीत करना चाहिये था । परन्तु विद्वान तहत अदालत ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया । लिहाजा मेरिटस पर प्रकरण को निर्णीत करने के लिये हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

6 अतः आदेश है कि हर दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा वाद पत्र संख्या 277/96 एवं 280/96 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.7.2003 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि वो प्रतिवादी मृतक धर्मपाल के वारिसान को रेकार्ड पर लेकर उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर इन वाद पत्रों का निस्तारण मेरिटस पर करें। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक 17·3·2021 को उपस्थित हो ।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/02/2021

(अशोक कुमार सॉखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर